



2026:AHC:127616

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19276 सन् 2026

सनी पटेल उर्फ अर्जुन पटेल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अंकित कपूर
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की मुकदमा अपराध संख्या 526/2025, धारा 191(3), 103(1), 190 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी में, जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका अभिकथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। मुख्य भूमिका सह-अभियुक्त आर्यन पटेल को दी गई थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क देते हैं कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् लवकुश पटेल उर्फ लालू को इस न्यायालय की समकक्ष खण्डपीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 19777/2026 में दिनांक 15.6.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। वे आगे यह भी तर्क देते हैं कि आपराधिक इतिहास को अनुपूरक शपथ पत्र में भली-भांति स्पष्ट किया गया है और वह दिनांक 29.12.2025 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने दूसरी ओर जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् लवकुश पटेल उर्फ लालू को इस न्यायालय की समकक्ष खण्डपीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रतिस्पर्धी दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् लवकुश पटेल उर्फ लालू को इस न्यायालय की समकक्ष खण्डपीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही उस पर रोक लगाई गई है, और आवेदक दिनांक 29.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

7. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक-**सनी पटेल उर्फ अर्जुन पटेल** को व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो प्रतिभूतियों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह किसी स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के अभाव में उसकी अनुपस्थिति की दशा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 बी.एन.एस. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 बी.एन.एस. के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन, तथा (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।